संख्या: 35/2015/3263प्रो0/51-2015-14(75)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2015

विषय:- राज्य अतिथि गृह, मीराबाई मार्ग, लखनऊ में पधारने वाले राज्य अतिथिगणों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम- 4092/32-3-2015-63/2015, के साथ संलग्न मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य अतिथि गृह, मीराबाई मार्ग लखनऊ के पत्र संख्या- 320/रा0अ0गृ0/14, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि राज्य अतिथि गृह, मीराबाई मार्ग, लखनऊ में पधारने वाले राज्य अतिथिगण के भोजन आदि से सम्बन्धित संलग्न विवरण के अनुसार 06 देयकों के व्यय को वहन करने हेतु कुल **रू0 4,724/-(रूपये चार हजार सात सौ चौबीस मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर प्रोटोकाल अनुभाग को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक :(06 देयक मूलरुप में) ।

भवदीय,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 35/2015/3263(1)प्रो/51-2015-14(75)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- व्यवस्थाधिकारी, राज्य अतिथि गृह, मीराबाई मार्ग, लखनऊ ।
5- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव A

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।